महत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या– 110 / 131 / स0ग्रा0वि0वि0 / एस0ए0जी0वाई0 / 14

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

समग्र ग्राम विकास विभाग लखनऊ : दिनांक : 15 जून, 2015

विषय : सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायतों को केन्द्र सरकार की योजनाओं / कार्यक्रमों में प्राथमिकता प्रदान किए जाने हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अर्द्ध0शा0 पत्र संख्या– M-13012/3/2014-SAGY दिनांक 28 मई, 2015 (छायाप्रति संलग्न) का कृपया अवलोकन करें, जिसके द्वारा कतिपय मंत्रालयों / विभागों द्वारा केन्द्र सरकार की कतिपय योजनाओं / कार्यक्रमों के दिशा–निर्देशों में सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत में प्राथमिकता प्रदान करने हेतु कतिपय परिवर्तन किए गए हैं। उक्त संशोधित दिशा–निर्देशों की प्रति ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट http://saanjhi.gov.in एवं समग्र ग्राम विकास विभाग की वेबसाइट http://sgvv.up.nic.in पर उपलब्ध हैं।

2– अतः अनुरोध है कि कृपया सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के उक्त पत्र दिनांक 28 मई, 2015 के साथ संलग्न केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों / विभागों से सम्बन्धित योजनाओं / कार्यक्रमों के संशोधित दिशा–निर्देश सांसद आदर्श ग्राम योजना के अन्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत के चार्ज आफिसर्स को उपलब्ध कराई जाए। योजनान्तर्गत चयनित ग्राम पंचायत के चार्ज आफिसर्स द्वारा इन दिशा–निर्देशों को ग्राम प्रधान के संज्ञान में लाते हुए इसका उपयोग वी0डी0पी0 तैयार किए जाने के उपरांत कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु किया जाएगा।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,

13/6

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः /तद्दिनांकित।

उपर्युक्त की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव / सचिव, ग्राम्य विकास, भूमि संसाधन, लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम ऊर्जा, अतिरिक्त ऊर्जा, युवा कल्याण, खाद्य एवं रसद तथा पंचायत राज विभाग उ0प्र0 शासन।

2– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संलग्नक– साफ्ट कापी हेतु वेब लिंक– **http://sgvv.up.nic.in/changes_in_guidelines_sagy.htm**